

प्रसार भारती PRASAR BHARATI
(भारत का लोक सेवा प्रसारक) INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER
आकाशवाणी : जबलपुर (म.प्र) ALL INDIA RADIO: JABALPUR (M.P.)
EMAIL-Jabalpur@air.org.in

क्रमांक जबल-3(3)/2022-123/जी

दिनांक :-30/09/2022

Subject- Regarding supply of Taxi to All India Radio, Jabalpur on Annual Agreement basis.


Last Date for receiving tenders is 17.10.2022, 03:30 PM

Sir/Madam,

All India Radio Jabalpur invites tender for its various vehicle requirement. The submitted tenders should fulfill following conditions.

1	Tenders in sealed envelopes should reach the office on or before 17.10.2022 by 3.30 Pm by registered Post. Tender will not be accepted if the envelop is not sealed and covered with wide transparent tape. Earnest money of Rs. 500/-(Rupees Five hundred only) should be remitted in the form of demand draft in favor of DDO, Prasar Bharati, All India Radio, Jabalpur. The following details must be mentioned on the envelop. 1. Work for which tender has been submitted. 2. Serial number of Tender Invitation letter must be mentioned. 3. Last date for opening Tender.
2	Tenders received in the office will be opened on the same day, that is on 17.10.2022 by 3.30 Pm in the presence of desirous tenderers or their representatives.
3	Rates entered in the tender will be final. Once the rates are approved, no additional charges or amount will be accepted in them.
4	Payment to the successful tenderer shall be made electronically on monthly basis and successful execution of work or service.
5	Successful tenderer will have to give his acceptance that the rates mentioned in the tender will be valid for a period of 1 Year. No increase will be acceptable for the approved rates thereof.
6	The office will have the right to postpone or cancel any tender or the entire tender process at any time.
7	Goods and service Tax registration should be mentioned in the submitted tender. The Goods and service Tax registration number of this office is 233AAAJP0288R2ZM

Enclosed:- Terms and conditions.


Pradeep Kumar Patle 30/9/22
Deputy Director General (Eng.)
AIR Jabalpur

Last date for receiving tenders - : 17.10.2022, till 03.30 Pm

Date for opening tenders - : 17.10.2022, at 03.30 Pm

प्रसार भारती PRASAR BHARATI

(भारत का लोक सेवा प्रसारक) INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER

आकाशवाणी : जबलपुर (म.प्र) ALL INDIA RADIO: JABALPUR (M.P)

EMAIL-Jabalpur@air.org.in

क्रमांक जबल-3(3)/2022-23/जी

दिनांक :-30/09/2022

Subject- Regarding Supplying taxis to All India Radio, Jabalpur on annual agreement basis.

Proforma For Tender

s.no	Type of Travel and time/distance	Rates for None AC Taxis			Rates for A taxis			Remark
		Indica/ equivalent	Indigo/ equivalent	Inova/ equivalent	Indica/ equivalent	Indigo/ equivalent	Invova/ equivalent	
(1)	2 Hrs. and 30 Kilometers							
(2)	04 Hrs. and 40 Kilometers							
(3)	12 Hrs. and 120 Kilometers							
(4)	Rates Per Kilometers for Out Station travel							
(5)	Rates for night halt for outstation travel							
(6)	limitation for minimum distance for out station travel (in Kilometers)							

1. GST Number:-

2. Name and full address of Agency/Taxi supplier.

3. Declaration - I/we declare that We have carefully read and understood the Terms and conditions (from 1 to 20) and accept all the terms and conditions given there in.

FORMAT FOR SENDING QUOTATIONS

Name of the Firm/Company/Service agency	
Complete address & telephone No.	
Location address & telephone No.	
No. of Vehicle owned or attached by the agency	Registration No. & Date 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nos. of years of experience in providing taxi in Government sector.	
Name & address of the Govt. offices where at present taxies are engaged on regular/monthly basis	
PAN NO.	
GST NO.	
Name and Telephone no. of Proprietor	

Date:

(signature with name and address)

TERMS AND CONDITIONS FOR PROVIDING TAXI

1. The taxi to provide should not be more than five years old or should not have run more than 50000 kms as on date of hiring.
2. The firm should have at least three years experience in the tour and travels business in providing taxis in the Government sector and should have adequate numbers of vehicles of its own with them.
3. The drivers of the vehicle provided must follow traffic rules and other regulations prescribed by the Govt. from time to time.
4. As these vehicle are to be used by the senior officers of the office, the firm should ensure that the driver to be provided must possess driving license and three years experience and carries necessary documents (Registration Certificate, Insurance papers, PUC Certificate etc.) with him. The driver should be well mannered and courteous and should always carry mobile phone with him, as it will enable the officer to contact him any time.
5. The vehicle must be made available at any given time and day as desired by the office.
6. The vehicle should report to the place of requirement as per direction of the office. The mileage will be counted from the place where the duty start up to the place where duty ends and the billing will be affected from the place of reporting and relieving.
7. The vehicle should be insured comprehensively and should have necessary permits from the transport authority.
8. This office will not be responsible for any challan, loss, damage or accident to the vehicle or to any other vehicle or any injury.
9. The payment will be made by this office on monthly basis on submission of pre-receipted bill(s) duly supported by duty slips/log sheets duly signed by the concerned officer.
10. The successful bidder will have to enter into an agreement for one year on Rs. 100/- non judicial stamp paper.
11. A penalty of Rs. 500/- (Rs. Five Hundred only) per day/per hired taxi for non supply of taxi as per requirement will be charged.
12. The office reserves the rights to reject any or all the quotations.
13. There will no guarantee on the part of the office for use of vehicle for certain minimum mileage in case it is hired on daily basis.
14. The firm must have all requisite clearance certificates etc. from the concerned Government agencies as per rule.
15. The daily record indicating time and mileage for each vehicle shall be maintained.
16. Telephone facility (24 hours) must be available with the bidder firm.
17. A certificate to be produced by the firm from the competent authority to certify proper status/functioning of the "Kilometre meter"
18. The rates should be quoted inclusive of all expenses such as POL, Taxes, Fuel cost, maintenance, repair and servicing etc.
19. GST/PAN/Bank Account number with IFSC code, name and address of Bank should be mentioned in the bill as per rule.
20. In case of any dispute, decision of Head of Office shall be final.

प्रसार भारती PRASAR BHARATI
(भारत का लोक सेवा प्रसारक) INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER
आकाशवाणी : जबलपुर (म.प्र) ALL INDIA RADIO: JABALPUR (M.P)
EMAIL-Jabalpur@air.org.in

क्रमांक जबल-3(3)/2022-123/जी

दिनांक 30/09/2022

विषय – आकाशवाणी जबलपुर को वार्षिक अनुबंध पर टैक्सी प्रदाय की निविदा संबंधी ।

कार्यालय को निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 17.10.2022 अपरान्ह 03.30 बजे तक ।

महोदय,

आकाशवाणी जबलपुर अपनी विभिन्न प्रकार की वाहन आवश्यकताओं हेतु निविदा आमंत्रित करता है । प्रस्तुत निविदाएं निम्निलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा करें ।

1.	निविदा सीलबंद लिफाफे में दिनांक 17.10.2022 (03.30 बजे तक) या उसके पूर्व कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिए । लिफाफा सीलबंद हो और पारदर्शी टेप से कवर किया गया हो । अग्रिम धन के रूप में रुपये 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) की राशि आहरण और सवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ), प्रसार भारती, आकाशवाणी जबलपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित की जाये । लिफाफे पर निम्न विवरण का उल्लेख होना चाहिये : 1. निविदा किस कार्य हेतु प्रस्तुत की गई है । 2. निविदा आमंत्रण पत्र क्रमांक दर्ज होना चाहिये । 3. निविदा खोलने की अंतिम तिथि
2.	कार्यालय को प्राप्त निविदाएं उसी दिन अर्थात् दिनांक 17.10.2022 को ही सांय 03.30 बजे इच्छुक निविदा कर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी ।
3.	निविदा में दर्ज दरें अंतिम होगी । दरों के स्वीकृत होने पर उनमें किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क या देयक स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
4.	सफल निविदाकार को कार्य या सेवा के सफल एवं संतुष्टीपद निष्पादन पर मासिक आधार पर भुगतान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से किया जायेगा ।
5.	सफल निविदाकार को यह सहमति देना होगी कि उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा में उल्लेखित दरें 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी, स्वीकृत दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।
6.	कार्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी चरण में किसी निविदा या संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को स्थगित या रद्द कर सकता है ।
7.	प्रस्तुत निविदा में वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करे । इस कार्यालय का वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन क्रमांक है :- 23AAAJP0288R2ZM

संलग्न : नियम एवं शर्तें ।

प्रदीप
(प्रदीप कु. पटले) 30/9/22
उप महानिदेशक (अभि.)
आकाशवाणी जबलपुर

निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 17.10.2022 अपरान्ह 03.30 बजे

निविदा खोलने की तिथि : 17.10.2022 अपरान्ह 03.30 बजे

प्रसार भारती PRASAR BHARATI

(भारत का लोक सेवा प्रसारक) INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER

आकाशवाणी : जबलपुर (म.प्र) ALL INDIA RADIO: JABALPUR (M.P)

EMAIL-Jabalpur@air.org.in

क्रमांक जबल-3(3)/2022-/23/जी

दिनांक 30/09/2022

विषय - आकाशवाणी जबलपुर को आवश्यकतानुसार वार्षिक अनुबंध आधार पर टैक्सी उपलब्ध कराने बाबत।

निविदा प्रोफार्मा

क्र.	यात्रा का प्रकार एवं अवधि/दूरी	गैर वातानुकूलित टैक्सी की दरें			वातानुकूलित टैक्सी की दरें			टिप्पणी
		इंडिका/समकक्ष	इंडिगो/समकक्ष	इनोवा/समकक्ष	इंडिका/समकक्ष	इंडिगो/समकक्ष	इनोवा/समकक्ष	
1.	02 घंटे एवं 30 किलोमीटर							
2.	04 घंटे एवं 40 किलोमीटर							
3.	08 घंटे एवं 80 किलोमीटर							
4.	12 घंटे एवं 120 किलोमीटर							
5.	शहर के बाहर जाने पर प्रति कि.मी की दरें							
6.	शहर के बाहर जाने पर रात्रि विश्राम की दरें							
7.	शहर के बाहर जाने पर निम्नतम दूरी की बाध्यता (कि.मी.में)							

1. जी.एस.टी क्रमांक :-

2. एजेंसी/टैक्सी प्रदायक का नाम एवं पूरा पता :-

3. घोषणा - मै/हम घोषणा करते हैं, कि मैने/हमने नियम एवं शर्तों (क्रमांक 01 से 20 तक) को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है, और दी गई शर्तें व नियम मुझे/हमें पूर्ण रूप से स्वीकार हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर

सील -

कोटेशन भेजने का प्रारूप

फर्म/कंपनी/सर्विस एजेंसी का नाम	
पूरा पता एवं दूरभाष क्र.	
ट्रांसपोर्टर के कार्यालय की अवस्थिति	
कंपनी के स्वामित्व में अथवा सम्बद्ध वाहनो की संख्या	<div>रजिस्ट्रेशन क्र. एवं तिथि</div> <div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4.</div> <div>5.</div> <div>6.</div>
सरकारी क्षेत्रक मे टैक्सी उपलब्ध कराने के अनुभव के वर्षों की संख्या	
सरकारी कार्यालयों का नाम व पता जहां वर्तमान मे नियमित/मासिक आधार पर टैक्सिया संबद्ध है।	
पैन क्रमांक	
जी.एस.टी क्रमांक	
प्रोपाइटर का नाम एवं दूरभाष क्र.	

दिनांक

(नाम व पते सहित हस्ताक्षर)

टैक्सी उपलब्ध कराने निबंधन एवं शर्तें

1. भाड़े पर देते समय उपलब्ध करायी गयी टैक्सी पाँच वर्ष से अधिक पुरानी न हो अथवा 50,000 कि.मी. से अधिक न चली हों।
2. फर्म को सरकारी क्षेत्रक में टैक्सी उपलब्ध कराने में टूर्स एण्ड ट्रेवल्स व्यवसाय में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो और उनके पास स्वयं के पर्याप्त संख्या में वाहन हों।
3. वाहन के चालकों को सरकार द्वारा समय - समय बताये नियमों व अन्य विनियमों का पालन करना चाहिए।
4. क्योंकि वाहनो का उपयोग कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, इसलिए फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध कराये गये वाहन चालक के पास ड्राइविंग लायसेंस, तीन वर्षों का अनुभव और समस्त आवश्यक दस्तावेज, पी.यू.सी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) हों, वह शिष्ट और विनम्र हो और मोबाइल फोन रखता हो, जिससे अधिकारीगण उससे किसी भी समय संपर्क कर सकें।
5. वाहन, कार्यालय द्वारा किसी भी दिन तथा समय पर मांगे जान पर उपलब्ध कराया जाये।
6. वाहन, कार्यालय द्वारा दिये निदेशानुसार आवश्यक स्थान पर रिपोर्ट करेगा। माइलेज(किमी/मील) की गणना ड्यूटी प्रारम्भ होने के स्थान से ड्यूटी समाप्त होने के स्थान तक की जायेगी और बिलिंग रिपोर्टिंग तथा रिलीविंग के स्थान से की जायेगी।
7. वाहन व्यापक रूप से बीमित हो और उसके पास परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त आवश्यक परमिट हो।
8. यह कार्यालय, वाहन अथवा अन्य किसी वाहन के हानि, क्षतिग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी भी चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
9. कार्यालय द्वारा भुगतान मासिक आधार पर रसीद सहित बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा जिनमें संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित स्लिप/लाग शीट्स संलग्न हो।
10. सफल बिडर को रू. 100/- के न्यायिकेतर स्टॉप पर अनुबंध करना होगा।
11. आवश्यकता के अनुसार टैक्सी न उपलब्ध कराये जाने पर प्रतिदिन/भाड़े पर प्रति टैक्सी रू. 500/- (पांच सौ रूपय मात्र) का अर्थदण्ड प्रभारित किया जायेगा।
12. कार्यालय के पास किसी भी या सभी कोटेशनों को अस्वीकार करने का अधिकार रहेगा।
13. वाहन को डेली बेसिस (दैनिक आधार) पर भाड़े पर लेने के मामले में कार्यालय की ओर से वाहन को निश्चित न्यूनतम माइलेज के लिए उपयोग किय जाने की कोई गारंटी न होगी।
14. फर्म के पास नियमानुसार समस्त संबंधित एजेंसियों से प्राप्त सभी अपेक्षित अनुमतियां होनी चाहिए।
15. प्रत्येक वाहन का दैनिक रिकार्ड रखा जायेगा जिसमें समय व माइलेज दर्शाया गया हों।
16. बिडर फर्म के पास दूरभाष सुविधा (24 घंटे) अवश्य उपलब्ध हो।
17. फर्म को सक्षम प्रधिकारी द्वारा 'किलो मीटर' की उचित प्रस्थिति/प्रकार्यात्मकता को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. कोट की गयी दरों में पी.ओ.एल, कर, ईंधन की लागत, अनुरक्षण, मरम्मत तथा सर्विसिंग आदि जैसे सभी व्यय सम्मिलित हो।
19. बिल में नियमानुसार जी.एस.टी/पैन / बैंक के आई.एफ. एस. सी कोड, बैंक का पता और खाता संख्या का उल्लेख हो।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में, कार्यालय प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।